रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि0स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–47/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों

1850–राजपत्र/2005–9–8–2005—1,460. (2287) मूल्य : 1 रुपया।

का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक–25) जो आज दिनांक 9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव।

2005 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह 20 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 में,-- 2005 का 13

(क) खण्ड (थ) में, "या कोषाध्यक्ष" शब्दों के पश्चात् "या सदस्य" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) खण्ड (ध) में, "रजिस्ट्रीकृत खेल इकाई जो किसी सहकारी सोसाइटी से रजिस्ट्रीकृत है," शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "खेल इकाई" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में, "उसका प्रमाण पत्र", शब्दों के पश्चात्, "ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाये," चिन्ह और शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) में, ''हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद्'', शब्दों के पश्चात् ''या रजिस्ट्रार'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (5) में, ''किसी खेल संगम के'' शब्दों के पश्चात्, ''किसी चीफ पेटर्न, पेटर्न, अवैतनिक सदस्य,'' शब्द और चिन्ह अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 19 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

''19. प्रत्येक राज्यस्तरीय खेल संगम, अपने लेखों को चार्टड एकाउंटेन्ट या राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के संपरीक्षा खंड या स्थानीय संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षित करवाएगा ।''

धारा 21 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में, ''हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् का सचिव,'' शब्दों के पश्चात् ''या रजिस्ट्रार'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 27 में,--

(क) उपधारा (1) में, ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) उपधारा (2) में,''तीस दिन के भीतर ऐसा कोई आवेदन'' शब्दों के स्थान पर ''साठ दिन के भीतर ऐसा कोई आवेदन'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) में, ''ऐसे आवेदन की तारीख से '' शब्दों के स्थान पर ''रजिस्ट्रीकरण की तारीख से'' शब्द रखे जाएंगे ।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां।

10. (1) हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005, 20 अप्रैल, 2005 से लागू हुआ था । उक्त अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु विचार विमर्श के लिये खेल संगमों के साथ विशेष रूप से बैठक का आयोजन किया गया था । संगमों के पदाधिकारियों से सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् यह महसूस किया गया कि उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपबन्धों को अधिक साध्य, युक्तियुक्त और उदार बनाने के लिये कुछ संशोधन करने अपेक्षित हैं । रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी हिमाचल प्रदेश से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे, जिन्हें भी ध्यान में रखा गया । धारा 2 के खण्ड (थ) में पद ''पदाधिकारी'' परिभाषित है, जिसमें कार्यकारी निकाय का सदस्य सम्मिलित नहीं है । अत: कार्यकारी निकाय के सदस्य को पदाधिकारी के रूप में सम्मिलित करना समीचीन समझा गया । और खण्ड (ध) के अनुसार पद, ''प्राथमिक खेल निकाय'' से, किसी सहकारी सोसाइटी से रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत खेल ईकाई, अभिप्रेत है, परन्तु धारा 3 उपबंधित करती है कि प्राथमिक खेल निकाय को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित नहीं है ।अत: यह विनिश्चय किया गया कि, ''रजिस्ट्रीकृत'' और ''सहकारी सोसाइटी से रजिस्ट्रीकृत'' शब्दों को हटा दिया जाए। धारा 6(1) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप विहित नहीं है जिस पर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में इस प्रभाव का उपबंध करना आवश्यक समझा गया है । और धारा 13(1) में केवल हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् द्वारा प्रेक्षक नियुक्त करने का उपबन्ध है, परन्तु धारा 2 का खण्ड (त) ''प्रेक्षक'' को रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, इस प्रकार इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, धारा 13 (1) में ''या रजिस्ट्रार'' शब्द रखे जाने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिक्ति यह भी विनिश्चय किया गया था कि अवैतनिक सदस्य, पेटर्न, चीफ पेटर्न को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु अनवधानता (अनजाने में) इस महत्वपूर्ण विनिश्चिय को विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सका । अब धारा 14 की उप-धारा (5) में उपयुक्त संशोधन कार्यान्वित किया जाना है । इसमें लेखों की संपरीक्षा केवल चार्टड एकाउंटेंट द्वारा करने का उपबंध है, परन्तु हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर कोई चार्टड एकाउंटेंट नहीं है, इसलिए, लेखे की संपरीक्षा चार्टड एकाउंटेंट या राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के संपरीक्षा खण्ड अथवा स्थानीय संपरीक्षा विभाग द्वारा करवाए जाने का उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है । धारा 21 में अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्तियां केवल सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य खेल परिषद् को दी गई हैं, जबकि यह आवश्यक समझा गया है कि, जांच के प्रयोजन के लिये ऐसी शक्तियां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को भी दी जानी चाहिए। इसलिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को भी शक्तियां देने का विनिश्चय किया गया है । धारा 27 में, संगमों से रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी । विभिन्न खेल संगमों की, आवेदन करने के लिए अधिक समय देने की मांग

थी । इस मांग को स्वीकृत किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि को तीस दिन के स्थान पर साठ दिन का समय दिया जाए । इस प्रकार धारा 28 आवेदन की तारीख से विद्यमान संगमों के लिए रजिस्ट्रीकरण के अस्तत्त्वहीन होने का उपबन्ध करती है । रजिस्ट्रार ने सुझाव दिया है कि उपविधियों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है और इन्हें, इस अधिनियम के उपबन्धों में समरूपता लाने के लिए इनमें संशोधन करना अपेक्षित है, इसलिए, ''आवेदन की तारीख से'' शब्दों को ''रजिस्ट्रीकरण की तारीख से'' शब्दों को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र मे नहीं थी और हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 13) में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन 30 मई, 2005 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 31 मई, 2005 को प्रकाशित किया गया था । उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा निम्नलिखित उपान्तरणों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है :--

''विधेयक के खण्ड 6 में राज्य सरकार के सहकारी विभाग के संपरीक्षा खण्ड और स्थानीय सपंरीक्षा विभाग को राज्यस्तरीय खेल संगम के लेखों की संपरीक्षा संचालन के लिए सशक्त करने का भी विनिश्चय किया गया है ।''

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपांतरण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

राम लाल ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला:
तारीख---------2005

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे । इस प्रकार इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप विनिर्दिष्ट करने और नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है ।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

राम लाल ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला:

तारीख-------- 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) AMENDMENT BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Amendment Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 20th day of April, 2005.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"),— 13 of 2005

(a) in clause (q), after the words " or the Treasurer", the words "or the Member" shall be inserted; and

(b) in clause (s), for the words and sign "registered sports unit registered with a Co-operative Society", the words " sports unit" shall be substituted.

Amendment of section 6.

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "certificate thereof", the signs and words " on such form as may be prescribed" shall be inserted.

Amendment of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, in sub-section(1), after the words "Himachal Pradesh State Sports Council", the words "or the Registrar" shall be inserted.

Amendment of section 14.

5. In section 14 of the principal Act, in sub-section (5), after the word "No", the words and signs "Chief Patrons, Patrons, Honorary Members" shall be inserted.

Substitution of section 19.

6. For section 19 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"19. Every State Level Sports Association shall get its accounts audited by a Chartered Accountant or by the audit wing of the Cooperation Department or by the Local Audit Department of the State Government ".

Amendment of section 21.

7. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Himachal Pradesh State Sports Council", the words "or the Registrar" shall be inserted.

Amendment of section 27.

8. In section 27 of the principal Act,—

(a) in sub section (1), for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "application is made within thirty days", the words "application is made within sixty days" shall be substituted.

Amendment of section 28.

9. In section 28 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "from the date of application" , the words "from the date of registration" shall be substituted.

Repeal of Ordinance No. 2 of 2005 and savings.

10. (1) The Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Amendment Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 was enforced in the State of Himachal Pradesh *w.e.f.* 20-4-2005. A meeting with the Sports Associations was specially convened to discuss the implementation of the provisions of the Act *ibid.* After thorough deliberations with the office bearers of the Associations, it was felt that some amendments are required to be made to make the provisions in various sections of the said Act more practicable, reasonable and liberal. Some suggestions were also received from the Registrar, Cooperative Societies, Himachal Pradesh which have also been taken care of. In clause (q) of section 2, the expression "office bearer" is defined which does not include the member of the Executive Body. Now, it has been considered expedient to include Member of Executive Body as the office bearer. Further, as per clause (s), the expression "Primary Sports Body" means a registered Sports unit registered with a Cooperative Society, but section 3 provides that a Primary Sports Body is not required to be registered under this Act. Therefore, it has been decided to delete the words "Registered" and "Registered with a Cooperative Society". In section 6(1), the Form of Certificate of Registration has not been prescribed on which the Registrar will issue the registration certificate. Thus, it has been considered necessary to make a provision to this effect in the Act *ibid.* Further, in section 13(1), there is a provision of appointment of observer by the Himachal Pradesh State Sports Council only, but clause (p) of section 2 defines "observer" as a person appointed by the Registrar, thus in order to remove this ambiguity it has been decided to insert the words " or the Registrar" in section 13(1). Further, it was decided that the Chief Patrons, Patrons, Honorary Members should also have no voting right, but inadvertently this important decision could not be incorporated in the Bill. Now, suitable amendments have been carried out in sub-section (5) of section 14. There is a provision for audit of accounts only by the Chartered Accountants, but at certain places in Himachal Pradesh, there are no Chartered Accountants. As such, it has been decided to make a provision to get the accounts audited by Chartered Accountant or by the audit wing of the Cooperation Department or by the Local Audit Department of the State Government. Further, in section 21, powers to call for records and inspections is given to only Secretary of the Himachal Pradesh State Sports Council, whereas, it is felt necessary that such powers should also be given to the Registrar, Cooperative Societies for the purpose of enquiry. Therefore, it has been decided to give powers to the Registrar, Cooperative Societies also. In section 27, the Associations are required to make an application to the Registrar, Cooperative Societies within 30 days from the date of commencement of this Act for the registration. There was a demand from the various Sports Associations for giving more time for making applications. This demand has been accepted and it has been decided to give 60 days time for making application for registration instead of 30 days. Further, section 28 provides for cessation of registration for the existing Associations from the date of application. The Registrar has suggested that it may require some time to study the bye-laws and required amendments thereof to bring them in conformity with the provisions of this Act, therefore, it has been decided to replace the words "from the date of application", with the words " from the date of registration".

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005(13 of 2005), was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Amendment Ordinance, 2005 (Ordinance No. 2 of 2005) on the 30th May, 2005 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 31st May, 2005. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation with following modifications :—

"In clause 6 of the Bill, it has been decided to also empower the Audit Wing of the Cooperation Department and the Local Audit Department of the State Government to conduct audit of accounts of the State Level Sports Associations."

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with modifications.

THAKUR RAM LAL,
Minister-in-Charge.

Shimla:
The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill, if enacted, shall be implemented through the existing Government machinery. As such , there shall be no additional expenditure out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules and specify the form of Registration Certificate. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) AMENDMENT BILL, 2005

A

BILL

to amend The Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (13 of 2005).

THAKUR RAM LAL,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary(Law).

SHIMLA :

The....., 2005.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.

शुद्धि–पत्र

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927 के कृत्य संख्या 1851–राजपत्र के पृष्ठ संख्या 2299 तथा 2300 के स्थान पर पृष्ठ संख्या 2300–A तथा 2300–B क्रमशः पढ़ी जाए ।

हस्ताक्षरित/–
उप–नियन्त्रक,
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,
शिमला–171005

शिमला, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि०स०–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1-48/2005.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात

भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-18) जो आज दिनांक 9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका हैं, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता हैं।

जे0 आर0 गाज़टा,

सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 18.

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह 8 जुलाई, 2005 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 का 18 1974 की धारा 3 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप–धाराएं जोडी जाएंगी, अर्थात्:–

"(2–क). उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन सह–भागीदारों को प्रतिवर्तित भूमि का अन्तरण ऐसे सह–भागीदारों द्वारा, ऐसी भूमि के नामान्तरण (इन्तकाल) की तारीख से पच्चीस वर्षो की अवधि के दौरान, विक्रय के रूप में, दान के रूप में, बन्धक के रूप में या अन्यथा नहीं किया जाएगा ।

1908 का 16 (2–ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई भी रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज़ को, जो उप–धारा (2–क) के उल्लंघन में है,

रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा, और ऐसा अन्तरण आरम्भ से ही शून्य होगा तथा ऐसे अन्तरण, यदि इसे उप–धारा (2–क) के उल्लंघन में किया गया है, में अन्तर्वलित भूमि समस्त बिल्लगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित होगी ।" ।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उप–धारा (2) में नया खण्ड (घ) जोड़ा गया है जिस में जमाबन्दी के स्वामित्व स्तम्भ में "शामलात टीका हस्ब रसद माल गुजारी" के रूप में या किसी अन्य नाम से अभिलिखित और राजस्व के लिए निर्धारित की गई तथा 26 जनवरी, 1950 से पूर्व इस प्रकार अभिलिखित सह–भागीदारों के खेतिहर कब्जे में, उसमें उनके हिस्से की सीमा तक लगातार अभिलिखित की गई भूमि को प्रतिवर्तित करने का उपबन्ध किया गया है, परन्तु इस खण्ड के उपबन्ध ऐसी भूमि को लागू नहीं होंगे जो पहले से ही सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई है । इस उपबन्ध के अनुसरण में, भूमि जो उपर्युक्त प्रवर्ग के अधीन आती है ऐसे सह–भागीदारों को प्रतिवर्तित की गई है/की जा रही हैं । यह पाया गया है कि कुछ जिलों में उक्त नए रूप में अन्तः–स्थापित उपबन्धों के अनुपालन में अनियमितताएं पाई गईं हैं और ऐसी भूमि का हिताधिकारियों द्वारा विक्रय के रूप में व्ययन कर दिया गया था । इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन सह–भागीदारों को प्रतिवर्तित भूमि का किसी भी रीति में अन्तरण न होने पाए, इसलिए, ऐसी भूमियों के अन्तरण पर नामान्तरण (इन्तकाल) की तारीख से पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए निर्बंधन अधिरोपित करने और उक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और उपरोक्त निर्बंधन लोक हित में अनिवार्यतः अधिरोपित किया जाना अपेक्षित था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 को, आदेश संख्या 14/2/2005–जूडल0 एण्ड पी पी, तारीख 01–06–2005 द्वारा, अध्यादेश प्रख्यापित करने हेतु भारत के राष्ट्रपति के अनुदेशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन तारीख 6–7–2005 को प्रख्यापित किया जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 8–7–2005 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक, उपर्युक्त अध्यादेश को, बिना किसी उपान्तरण के, प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

सत महाजन,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :

तारीख ....., 2005

वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

सत महाजन,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख ..... , 2005

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 18 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2005

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No.18 of 1974).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 8th day of July, 2005.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act,1974, after sub-section (2), the following new sub-sections shall be added, namely:— 18 of 1974

"(2-a). The land reverted back to co-sharers under clause (d) of sub-section (2) shall not be transferred by such co-sharers, by way of sale, gift, mortgage or otherwise, during a period of twenty five years from the date of mutation of such land.

(2-b). No Registrar or the Sub-Registrar, appointed under the Registration Act, 1908, shall register any document pertaining to transfer of such land, which is in contravention 16 of 1908

of sub-section (2-a) and such transfer shall be void abinitio and the land involved in such transfer, if made in contravention of sub-section(2-a), shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

Repeal of Ordinance No.7 of 2005 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A new clause (d) has been added to sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 which provides to revert back the land recorded as "Shamlat tika Hasab Rasad Malguzari" or by any other name in the ownership column of jamabandi and assessed to land revenue and has been continuously recorded in cultivating possession of the co-sharers so recorded before 26th January, 1950 to the extent of their shares therein, provided that the provisions of this clause shall not be applicable to such lands which have already been put to use by the Government. In pursuance of this provision, the lands which fall under aforesaid category have been/are being reverted back to such co-sharers. It has come to the notice that in some Districts irregularities are being committed in implementation of the said newly inserted provision and such lands were disposed of by the beneficiaries by way of sale. Thus in order to ensure that lands reverted back to co-sharers under clause (d) of sub-section (2) of section 3 of the Act *ibid* is not transferred in any manner, it was decided to impose restriction on transfer of such lands for a period of 25 years from the date of mutation and to amend the Act *ibid* suitably.

Since the Legislative Assembly was not in Session and aforesaid restriction was to be imposed urgently in the public interest, therefore, Governor, Himachal Pradesh, after obtaining instructions of the President of India to promulgate the Ordinance vide Order No.14/2/2005-Judl.& PP, dated 01-06-2005, promulgated the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Ordinance, 2005 under clause (1) of article 213 of the Constitution of India on 6th July, 2005 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 08th July, 2005. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

SAT MAHAJAN,
Minister-in-Charge.

SHIMLA
The ..... August, 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act,1974 (Act No.18 of 1974).

SAT MAHAJAN,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA
The ..... August, 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित